अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान एक्सक्यूशन वाद संख्या– 4/1984

भुईयाँ हो।

वनाम

कुशनु हो एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद दिनांक– 16.07.1984 को डिक्री धारक भुईयाँ हो, पिता– स्व० लेबेया तुबिड, निवासी ग्राम– कैनुआ, थाना– टोन्टो, पो०– दलकी, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा कोल्हान टाईटल सुट संख्या– 8/75 में पारित आदेश एवं डिक्री पर कार्यान्वयन हेतु 1. देनदार कुशनु हो, पिता– लेबया हो, 2. तुराम हो, पिता– लेबेया हो, 3. रंधीया कुई, पति– स्व० लेबेया हो एवं 4. जोगना कुई, पति– स्व० लेबेया हो के विरूद्ध यह मामला दायर किया गया है। इस वाद में दिनांक– 06.04.2017 से दोनों पक्षों की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक– 368 दिनांक– 21.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, झींकपानी को दोनों पक्षों को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। जिसके उपरांत नोटिस तामिला प्राप्त हुआ, लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 23.12.2021 को भी उभय पक्ष अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है की उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23.12.2021

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

23.12.2021

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.02.02 12:38:57 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner